सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 519/2022

वाद अ. धारा 88 आर.टी.ए.

अजयवीर सिंह पुत्र श्री सुखविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादी

बनाम्

1. सुखविन्द्र सिंह पुत्र श्री जगदेव सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. हरलीन कौर पुत्री श्री सुखविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. गुरविन्द्र सिंह पुत्र श्री जगदेव सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. तरनवीर सिंह पुत्र श्री गुरविन्द्र सिंह आयु 9 वर्ष जरिये कुदरती बली माता मनप्रीत कौर पत्नी श्री गुरविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. गुरलीन कौर पुत्री श्री गुरविन्द्र सिंह आयु 3 माह जरिये कुदरती बली माता मनप्रीत कौर पत्नी श्री गुरविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
6. अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड प्रथम हनुमानगढ़(राज.)
7. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

उपस्थिति :–

वादीगण की ओर से :– श्री कुलदीप मुण्ड, एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से :– श्री महावीर बेरड़, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :–11.02.2023

वादी अजवीर सिंह ने प्रतिवादीगण सुखविन्द्र सिंह वगैरा के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं खाता विभाजन का इस न्यायालय में पेश किया कि यह कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 जो कि एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। तहसील संगरिया के चक 6 पी.टी.पी. के खाता सं. 120/97 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 में वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 व वादी के चाचा प्रतिवादी सं. 3 के नाम से 5.656 है. कृषि भूमि ब.हि.ब. तथा

लगातार --2

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

चक 6 आई.डी.जी. के खाता सं. 64/59 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 एवं वादी के चाचा प्रतिवादी सं. 3 के नाम से 4.048 है. कृषि भूमि ब.हि.ब. दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चकों के खातों की जमाबन्दीयों की प्रमाणित प्रतियां सलंग्न वाद पत्र है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि तहसील संगरिया के चक 6 पी.टी.पी. के खाता सं. 120/97 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 में प.नं. 133/136 मु.नं. 16 कि.नं. 3/2,4/2,5/2/0.025 है.प्र., 5/3/0.026 है. कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में गै. मु. दर्ज है। लेकिन प.नं. 133/136 मु.नं. 16 कि.नं. 3/2,4/2,5/2/0.025 है.प्र., 5/3/0.026 है. गै.मु. खाला का वादी एवं अन्य किसी भी काश्तकार द्वारा पिछले 30–40 वर्षो से उपयोग व उपभोग नही किया जा रहा है तथा साथ ही कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड प्रथम, हनुमानगढ़ के अभिलेख में गै.मु. खाला दर्ज नही है तथा न ही वादी एवं अन्य काश्तकार को प.नं. 133/136 मु.नं. 16 कि.नं. 3/2,4/2,5/2/0.025 है.प्र., 5/3/0. 026 है. में गै.मु. खाला की आवश्यकता है तथा न ही उक्त खाला वर्तमान में चालू है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि में जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 की संयुक्त परिवार की संयुक्त आराजी है जिसमें वादी का जन्म से हित एवं स्वत्व (By birth Right) निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि बंटवारानुसार वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया जिसमें प्रतिवादी सं. 2 व 5 ने उक्त कृषि भूमि में अपने हक व हिस्सा का परित्याग मौखिक रूप से वादी एवं प्रतिवादी सं. 1, 3 व 4 के पक्ष में बंटवारानुसार कर दिया। जिनका उक्त भूमि में कोई हित व स्वत्व निहित नही रहा हैं। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1, 3 व 4 को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का वर्णन निम्न प्रकार से हैः–

(क) **वादी अजयवीर सिंह पुत्र श्री सुखविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :–**

तहसील संगरिया के चक 6 पी.टी.पी. के खाता सं. 120/97 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 में 5.656 है. कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा कृषि भूमि

(ख) **प्रतिवादी सं. 1 सुखविन्द्र सिंह पुत्र श्री जगदेव सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) एवं प्रतिवादी सं. 3 गुरविन्द्र**

लगातार ––3

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सिंह पुत्र श्री जगदेव सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की ब.हि.ब. कृषि भूमि :–

तहसील संगरिया के चक 6 आई.डी.जी. के खाता सं. 64/59 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में 4.048 है. कृषि भूमि

(ग) **प्रतिवादी सं. 4 तरनवीर सिंह पुत्र श्री गुरविन्द्र सिंह आयु 9 वर्ष जरिये कुदरती बली माता मनप्रीत कौर पत्नी श्री गुरविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :–**

तहसील संगरिया के चक 6 पी.टी.पी. के खाता सं. 120/97 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 में 5.656 है. कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा कृषि भूमि

यह कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 को विरासतन तौर पर प्राप्त समस्त कृषि भूमि जिसका वर्णन वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित किया गया है। वाद पत्र की चरण सं. 5 के अनुसार वादी खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि प्रतिवादी सं. 1 ता 5 को प्रश्नगत् कृषि भूमि विरासतन तौर पर प्राप्त हुई है। वादी ने प्रतिवादी सं. 1 ता 5 को बंटवारानुसार कृषि भूमि दर्ज करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे आखिर गत सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1, 3 ता 5 द्वारा राजीनामा पेश किया गया जो कि बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादीया सं. 2 द्वारा सहमति का जवाब दावा प्रस्तुत किया गया जो कि बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 6 द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो शामिल मिसल की गई तथा प्रतिवादी सं. 7 का जवाब स्टेट पेश हुआ। जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र के समर्थन में वादी के द्वारा तहसील संगरिया के चक 6 पी.टी.पी. के खाता सं. 120/97 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 एवं चक 6 आई.डी.जी. के खाता सं. 64/59 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 की जमाबन्दीयों की प्रतियां पेश की गई जो प्रदर्श–1 व 2 है। साक्ष्य वादी में वादी का शपथ पत्र अ. धारा 18 नियम 4 व्य.प्र.सं. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी के अभिभाषक ने कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 संयुक्त परिवार के सदस्य है तथा आपस में कोई विरोध नही है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1, 3 ता 5 द्वारा

लगातार ––4

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजीनामा पेश किया गया जो कि बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादीया सं. 2 द्वारा सहमति का जवाब दावा प्रस्तुत किया गया जो कि बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 6 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रतिवादी सं. 7 का जवाब स्टेट पेश हुआ। जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र में घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादी एवं वकील प्रतिवादीगण ने राजीनामा अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने पर सहमति दी। वकील वादी ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नही किया।

वाद पत्र में वर्णित आराजी तहसील संगरिया के चक 6 पी.टी.पी. के खाता सं. 120/97 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 व वादी के चाचा प्रतिवादी सं. 3 के नाम से 5.656 है. कृषि भूमि ब. हि.ब. तथा चक 6 आई.डी.जी. के खाता सं. 64/59 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 एवं वादी के चाचा प्रतिवादी सं. 3 के नाम से 4.048 है. कृषि भूमि ब.हि.ब. दर्ज राजस्व रिकार्ड है। तहसील संगरिया के चक 6 पी.टी.पी. के खाता सं. 120/97 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 एवं चक 6 आई.डी.जी. के खाता सं. 64/59 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 की जमाबन्दीयों की प्रतियां पेश की गई। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1, 3 ता 5 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत होने के कारण एवं प्रतिवादीया सं. 2 द्वारा सहमति का जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 एक ही परिवार के सदस्य है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र मुताबिक राजीनामा एवं सहमति के जवाब दावा अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा।

-:: क्रियात्मक आदेश ::-

अतः वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष अनुसार डिक्री किया जाता है कि मुताबिक बंटवारा तहसील संगरिया के चक 6 पी.टी.पी. के खाता सं. 120/97 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 व वादी के चाचा प्रतिवादी सं. 3 के नाम से 5.656 है. कृषि भूमि के वादी एवं प्रतिवादी सं. 4 को ब. हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 व 3 का नाम कलमजन किया जाता है तथा तहसील संगरिया के चक 6 पी.टी.पी. के खाता सं. 120/97 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में प.नं. 133/136 मु.नं. 16 कि. नं. 3/2,4/2,5/2/0.025 है.प्र., 5/3/0.026 है. कृषि भूमि को राजस्व रिकार्ड

लगातार --5

में गै.मु. खाला की कृषि भूमि को मुमकिन कृषि भूमि में दर्ज की जाती है।

नोटः– यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे। चक 6 पी.टी.पी. के खाता सं. 120/97 में उक्त जलमार्ग निरस्त गै.मु. खाला को सम्बन्धित काश्तकार के नाम नियमानुसार बकाया रकम आदि कोई शेष हो तो जमा करवाने के बाद में राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज करें।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 11.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रमेश देव)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारीः– रमेश देव(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 519/2022

अजयवीर सिंह पुत्र श्री सुखविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादी

बनाम्

1. सुखविन्द्र सिंह पुत्र श्री जगदेव सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. हरलीन कौर पुत्री श्री सुखविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. गुरविन्द्र सिंह पुत्र श्री जगदेव सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. तरनवीर सिंह पुत्र श्री गुरविन्द्र सिंह आयु 9 वर्ष जरिये कुदरती बली माता मनप्रीत कौर पत्नी श्री गुरविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. गुरलीन कौर पुत्री श्री गुरविन्द्र सिंह आयु 3 माह जरिये कुदरती बली माता मनप्रीत कौर पत्नी श्री गुरविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
6. अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड प्रथम हनुमानगढ़(राज.)
7. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अ. धारा 88 आर.टी.ए.

दिनांक :– 11.02.2023

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ **रमेश देव(आर.ए.एस.)** के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी **श्री महावीर बेरड़** वकील वादीगण मिन जामिन मुदई **श्री कुलदीप मुण्ड** वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 5 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता हैं व यह डिक्री दी जाती है कि मुताबिक बंटवारा तहसील संगरिया के चक 6 पी.टी.पी. के खाता सं. 120/97 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 में वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 व वादी के चाचा प्रतिवादी सं. 3 के नाम से 5.656 है. कृषि भूमि के

लगातार ––2

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वादी एवं प्रतिवादी सं. 4 को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 व 3 का नाम कलमजन किया जाता है तथा तहसील संगरिया के चक 6 पी.टी.पी. के खाता सं. 120/97 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में प.नं. 133/136 मु.नं. 16 कि.नं. 3/2,4/2,5/2/0.025 है.प्र., 5/3/0.026 है. कृषि भूमि को राजस्व रिकार्ड में गै.मु. खाला की कृषि भूमि को मुमकिन कृषि भूमि में दर्ज की जाती है।

नोट :- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे। चक 6 पी.टी.पी. के खाता सं. 120/97 में उक्त जलमार्ग निरस्त गै.मु. खाला को सम्बन्धित काश्तकार के नाम नियमानुसार बकाया रकम आदि कोई शेष हो तो जमा करवाने के बाद में राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज करें।

निज .....×.... निल ......×...... मुब्लिक ....×........निल ......×..... बाबत् ....×.... निल......×....... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ....×.......को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज **दिनांक 11.02.2023** को जारी किया जाता है।

(रमेश देव)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया